

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	खण्डवा जिले में नगरीय क्षेत्र ओंकारेश्वर के अन्तर्गत तहसील कार्यालय से वार्ड क्रमांक 15 नवीन बस्ती डुहिक्या तक जन सुविधा हेतु पक्का मार्ग निर्माण हेतु 0.473 हेक्टेयर वनभूमि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ओंकारेश्वर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:- 20/02/2023

स्थान:- भोपाल।

20/2/2023
(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal